मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी 6-4/84/3/I

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच के संबंध में शासकीय सेवकों का निलंबन

राज्य शासन द्वारा कई बार इस प्रकार के निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि किसी ऐसे शासकीय कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाना है सामान्यतया निलंबित नहीं किया जाना चाहिए. जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों या जब प्रशासकीय दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तभी संबंधित कर्मचारी को उसके आचरण के संबंध में विभागीय जांच होने तक निलंबित किया जाना चाहिए. निलंबित शासकीय कर्मचारी को समय पर निर्वाह-भत्ता भुगतान करने के संबंध में भी निर्देश प्रसारित किए जाते रहे हैं. परन्तु यह देखने में आया है कि शासन के इन आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है जिसके कारण संबंधित कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है.

2. अतः राज्य शासन द्वारा पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को निलंबित तभी किया जाये जब कि विभागीय जांच प्रभावित होने की संभावना हो और ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ता नियमानुसार समय पर मिलता रहे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी 6-4/84/3/1

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
   लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र. भोपाल

2. राज्यपाल के सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

3. अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघ/तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ/लघु वेतन कर्मचारी संघ म. प्र. भोपाल

4. मुख्य मंत्री/उपमुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उपमंत्रीगण.

5. सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव (समस्त) सा. प्र. वि.

6. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखा अधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल

हस्ता./
(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.